न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– **181 / 2025**
GCMS No.2025/368

1. रामकला देवी पत्नी शिवताज सिंह जाति अहीर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उमराव पुत्र महादाराम
3. कमली पुत्री महादाराम
4. ग्यारसी पुत्री महादाराम
5. छिमा कोरी पत्नी स्व. जुगलाल
6. टीडो पुत्री जुगलाल
7. दयाराम पुत्र जुगलाल
8. दाताबाई पत्नी महादाराम
9. नेता देवी पुत्री महादाराम
10. प्रेम देवी पुत्री महादाराम
11. फतू देवी पुत्री महादाराम
12. राजेन्द्र पुत्र महादाराम
13. विक्रम सिंह पुत्र जुगलाल
14. सागर पुत्र चन्द्रा
15. होशियार सिंह पुत्र जुगलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. बिहारी पुत्र रामरतन
2. प्रकाश पुत्र बिहारीलाल
3. रोहिताश पुत्र बिहारीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.

4. इंडियन ऑवरसीज बैंक शाखा मेह[illegible]ास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. भूमि धारक, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी खसरा नंबर 840 ग्राम बेसरड़ा
अन्तर्गत धारा 128/111 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

दिनांक 03/11/25

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम बेसरड़ा पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 108 के खसरा नंबर 840 रकबा 0.63 है. की संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं। खाता सं. 108 के खसरा नंबर 841 रकबा 0.29 है. का अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है तथा खाता सं.1 77 के खसरा नंबर 838 के अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 840, भूमि खसरा नंबर 841 के पश्चिम दिशा में सींव जोड़ स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 की भूमि खसरा नंबर 838, प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 840 के उत्तर दिशा में सींव जोड़ स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 840 की पूर्वी सीमा अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नंबर 841 के साथ लगती है तथा उत्तरी सीमा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 के खेत खसरा नंबर 838 के साथ लगती है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 840 की सीमाओं के साथ तोड़ फोड़ करते रहते हैं व सीमा को तोड़ देते हैं। प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए पटवार मण्डल मेहाड़ा जाटूवास ने दिनांक 04.06.2025 को ग्राम बेसरड़ा के खसरा नंबर 840 का सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर पहुंचे, उसके बाद नक्शा शीट सन् 1979—80 के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नंबर 840 रकबा 0.63 है. का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीया ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत खसरा नंबर 840 के साथ तोड़ी हुई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 840 की पूर्वी व उत्तरी सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। जब प्रार्थीगण सीमा चिन्हों को नष्ट करने से मना करते हैं तो अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए यह आवेदन प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 840 की पत्थरी गढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 840 रकबा 0.63 है. की पूर्वी सीमा जो खसरा नंबर 841 के साथ लगती है तथा उत्तरी सीमा जो खसरा नंबर 838 के साथ लगती है का उक्त खसरान बर की सर्वेशीट से नपती करवाकर खसरा नंबर 840 की पूर्वी तथा उत्तरी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिल्लर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य में नकल रिपोर्ट पटवार मण्डल मेहाड़ा जाटूवास दिनांक 04.06.2025, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076—79 खाता संख्या नया 223, 108 व खाता सं. 77 ग्राम बेसरड़ा पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 223 में दर्ज खसरा नम्बर 840 रकबा 0.63 है0 के संयुक्त खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण ने दिनांक 04.06.2025 को सीमाज्ञान भी करवाया था जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 840 रकबा 0.63 है0 का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है, उक्त सीमाज्ञान के आधार पर ही प्रार्थीगण पुनः वादग्रस्म भूमि की नपति कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जो विधि सम्मत् हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता हैं।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 840 रकबा 0.63 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 के आधार पर सर्वेशीट से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नपति करवाकर रू. 600/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 03/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested